पत्राक–3/स्था0रा0अ0 (प्रोन्नति)–09/19– 443 (3)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

कंचन कपूर,
सरकार के सयुक्त सचिव।

सेवा में,

ई–मेल ✓
फैक्स

सभी समाहर्त्ता, बिहार।
(मधेपुरा, जहानाबाद, शेखपुरा, नालन्दा,
भोजपुर, नवादा एवं खगडिया को छोड़कर)

पटना–15, दिनाक– 27-12-2019

विषय :– राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति के संबध में।

प्रसग :– विभागीय पत्रांक–305(3)/रा0, दिनाक–22 08.2019 एव पत्राक–379(3)/रा0, दिनाक–24.10.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्रो के सम्बन्ध मे कहना है कि बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 मे राजस्व अधिकारी एव समकक्ष ग्रेड के 25 प्रतिशत पदो पर स्नातक एव स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारी सवर्ग से राज्य स्तर पर गठित उनकी वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक मे विभागीय पत्राक–233(4)/रा0, दिनाक–10 06 2019 द्वारा स्नातक एव स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियो की (कुल–1360) की अतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया।

बिहार राजस्व सेवा सशोधन नियमावली, 2015 के आलोक मे राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी के रूप में प्रोन्नति देने हेतु विभागीय पत्राक–233(4)/रा0, दिनाक–10 06 2019 द्वारा प्रकाशित स्नातक एव स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों के अतिम वरीयता सूची के क्रम स0–852 तक के राजस्व कर्मचारी से सबंधित विवरणी तथा सबधित राजस्व कर्मचारी, जिनकी सेवा सम्पुष्ट नहीं हुई है, उसपर यथोचित कार्रवाई करते हुए विहित प्रपत्र मे वाछित सूचना अकित कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो अबतक अप्राप्त है।

अत पुनः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
26/12/19
(कंचन कपूर),
सरकार के सयुक्त सचिव।

E:\2018\chandan\sec-4\Manish 22\Letter 08 08 19 docx